

पूर्व मध्य रेल  
(निर्माण संगठन)

कार्यालय  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण  
महेन्द्रघाट, पटना  
दिनांक: 02.05.2022

सं० ईसीआर/सीएओ/कॉन/सेटलमेंट/पेंशन अदालत

**पेंशन अदालत अधिसूचना**

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(W)2022/PA/4 दिनांक 30.04.2022 के परिप्रेष्य में निर्माण संगठन/महेन्द्रघाट, पटना द्वारा पेंशन से संबंधित परिवारों के निष्पादन के लिए दिनांक 05.05.2022 (गुरुवार) को ऑन लाईन Video Conferencing के माध्यम से पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

ऑन लाईन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपने पेंशन से संबंधित परिवार का पूरा विवरण निम्न प्रारूप में भरकर उप मुकाधि/निर्माण/महेन्द्रघाट, पटना को दिनांक 04.05.2022 तक E mail id - [dycpo.c.mhx@gmail.com](mailto:dycpo.c.mhx@gmail.com) पर प्रेषित कर सकते हैं :-

1. आवेदक का नाम -
2. भू०पू० कर्मचारी का नाम -
3. पदनाम एवं अंतिम कार्यालय -
4. भू०पू० कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध -
5. वर्तमान पता -
6. सेवानिवृत्ति की तिथि -
7. सेवानिवृत्ति के प्रकार (सामान्य/स्वैच्छिक/अनिवार्य) -
8. भू०पू० कर्मचारी की मृत्यु तिथि -
9. प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमान -
10. सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रक अधिकारी -
11. पेंशन भुगतान आदेश सं० (PPO No. की स्पष्ट छाया प्रति संलग्न करें) -
12. पेंशनर की अद्यतन बैंक खाता की स्पष्ट छाया प्रति जिसमें IFSC कोड एवं खाता संख्या अंकित हो -
13. परिवार का विस्तृत विवरण -
14. मोबाईल नंबर -

पेंशन संबंधी परिवार उपरोक्त प्रारूप में भरकर दिनांक 04.05.2022 तक E mail id - [dycpo.c.mhx@gmail.com](mailto:dycpo.c.mhx@gmail.com) पर प्रेषित कर सकते हैं अथवा दिनांक 05.05.2022 को अपराह्न 15.30 बजे से 18.00 बजे तक सीधे Video Conferencing द्वारा इस Video Web link: <https://meet.google.com/gpm-ohxy-orh> से जुड़ सकते हैं तथा पेंशन से संबंधित परिवार दर्ज करा सकते हैं।

वैसी शिकायतें जो पेंशन से जुड़ी नहीं हैं, जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन/भत्तों का भुगतान या वेतन में बढ़ोतरी इत्यादि का पेंशन अदालत के अर्न्तगत विचारणीय नहीं होगी।

नोट - जिन रेल कर्मचारियों की पेंशन संराशीकरण (कम्यूटेशन) की तिथि से सेवानिवृत्ति की 15 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है या पूरी होने पर पेंशन के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरक बैंक/डाकघर के पदाधिकारी से सीधे संपर्क करें।

(आलोक श्रीवास्तव)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/निर्माण  
कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

प्रतिलिपि : कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुप्रधि/निर्माण/दक्षिण के सचिव - मुप्रधि/निर्माण/दक्षिण महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. मुप्रधि/निर्माण/उत्तर के सचिव - मुप्रधि/निर्माण/उत्तर महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुकाधि के सचिव - प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. मुसिदुड/निर्माण एवं मुविड/निर्माण।
5. मुकाधि/विधि एवं निर्माण।
6. शाखा मंत्री/ईसीआरकेयू/निर्माण संगठन/महेन्द्रघाट, पटना।
7. सभी CSWI/Con/MHX - यूनिट संभाग में जानकारी उपलब्ध करायेंगे एवं अपने अपने वीट से संबंधित मामले में संपर्क कर मामले के निष्पादन में सहयोग करेंगे।
8. उप मुकाधि/निर्माण के गोपनीय सहायक - ECR/Con के website पर अपलोड करने हेतु।
9. सूचना पट्ट।

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण